

प्रेसनोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 28.08.2023

80 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 400 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम नौसादर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा “अपमिश्रित कच्ची शराब के निष्कर्षण व विक्रय” आदि अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के मार्गदर्शन में पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष राजघाट के नेतृत्व में मय टीम द्वारा अभियुक्त नागेन्द्र निषाद को 80 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब 400 ग्राम यूरिया 300 ग्राम नौसादर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 333/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

पंकज पाण्डेय पुत्र अम्बरिश पाण्डेय निवासी गौनरिया राजा थाना चौक जनपद महाराजगंज

पंजीकृत अभियोग का विवरण व आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 333/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 158/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादसं0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।

बरामदगी-

1. 80 ली0 अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब
2. 400 ग्राम यूरिया
3. 300 ग्राम नौसादर।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण का नाम-

1. उ0नि0 शेरबहादुर यादव चौकी प्रभारी टीपीनगर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
2. का. शिवभोला थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।